



दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
23.08.2024	<p>दरखास्तगुजार ने उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 524/2008 ब-उनवानी मंगला बनाम नानगा व अन्य में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुत्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण से बिन्दुवार टिप्पणी तलब हो। नोटिस विपक्षीगण रजिस्टर्ड जारी हो। पत्रावली दिनांक 19.09.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण) </p> <p>19⁹/₂₄ पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित हैं वकील प्रार्थी ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी श्री मुकुट सिंह R.A.S का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। वकील प्रार्थी को गैर से बुला गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुत्तकिल प्र.पत्र स्वतः ही प्रभावशून्य (INFRACTUOUS) हो गया है। फलस्वरूप मुत्तकिल प्र.पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: right;">  जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण) </p>	